संख्या– 813 /XXVI/2005

प्रेषक,

एल0 फैनई,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून ।

नियोजन अनुभाग । देहरादूनःदिनांकः 08 दिसम्बर,2005

विषयः– **अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखाशीर्षक संख्या–3454– के अंतर्गत 03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के 17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1275/3–ले0पुर्न0/05–06 दिनांक 29 अक्टूबर,2005 के संदर्भ में 17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व मद में संलग्न बी0एम0 –15 के अनुसार बचतों से व्यावर्तित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में रूपये 1.60 लाख (रूपये एक लाख साठ हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– उक्त धनराशि केवल उन्हीं मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए यह स्वीकृत की जा रही है । चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा ।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका,बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा ।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय ।

4– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

5– इस संबध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान–17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के नामें डाला जायेगा ।

.....2/–

6– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1109/XXVII/5 (1)/2005 दिनांक 01 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवदीय,

(एल0 फैनई)
अपर सचिव ।

संख्या– 813 (1)/XXVI/2005 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबेराय बिल्डिंग,सहारनपुर रोड, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3– वित्त अनुभाग–5, उत्तरांचल शासन ।
4– समन्वयक,राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
5– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

06/12/05

(एल0 फैनई)
अपर सचिव ।

प्रशासनिक विभाग– नियोजन विभाग । नियन्त्रक अधिकारी– सचिव, नियोजन ।

अनुदान संख्या–07

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधिमें अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ –5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ –01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान–26–मशीन एवं सज्जा/उपकरण और संयंत्र–250	–	90	160 (क)	3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान–17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व – 160 (ख)	410	90	(क) आवश्यकता न होने के कारण । (ख) मानक मद–17 किराया उपशुल्क मद में विभाग की पूर्व आवश्यकता के अनुसार रू0 250 हजार आवंटन प्राप्त हुआ, जिसे जनपदों की माग के अनुसार वितरित किया जा चुका है । 15 सितम्बर,05 से निदेशालय हेतु कार्यालय भवन रू0 34542 प्रतिमाह की दर से किराये पर ले लिया गया है अतः वर्ष 05–06 में किराये की मद में रू0 160 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता होगी इस प्रकार वित्तीय वर्ष 05–0 में इस मद में कुल रू0 41 हजार व्यय होने की सम्भाव है ।
योग– 250	–	90	160	160	410	90	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद– 150, 151, 155, 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(एल0 फैनई)
अपर सचिव ।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3

संख्याः (1)/वि0अनु0–03/2005
देहरादूनः दिनांक

पुर्नविनियोग स्वीकृत

अपर सचिव,
वित्त।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल–देहरादून।

संख्या /02 XXVi/2005–06 दिनांकः

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग, 03 उत्तरांचल शासन, देहरादून।

आज्ञा से

अपर सचिव,
नियोजन।

Ded Stock